

राज्य निर्वाचन आयोग

उत्तराखण्ड



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या—112/रा०नि०आ०अनु—३/612/2005

देहरादून:

दिनांक: 03मई, 2010

अधिसूचना

उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम-2007 की धारा-8 एवं उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली 2010 के नियम 10(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बिपिन चन्द्र चन्दोला, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, एतद्वारा उत्तराखण्ड शासन के पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग की अधिसूचना संख्या—251/XII/2010-92(5)/2007 दिनांक 31.03.2010 द्वारा अधिसूचित जिला योजना समिति के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से उत्तराखण्ड के समर्त जनपदों की जिला योजना समितियों के सदस्यों का प्रथम सामान्य निर्वाचन उत्तराखण्ड शासन के पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग की अधिसूचना संख्या—383/XII(1)/10/92(05)/2007 दिनांक 29 अप्रैल, 2010 के क्रम में नीचे विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जाने का निर्देश देता हूँ:-

नामांकन का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
दिनांक 13मई, 2010 से दिनांक 14मई, 2010 (प्रतिदिन पूर्वाहन 11.00बजे से अपराह्न 04.00बजे तक)	दिनांक 15मई 2010 (पूर्वाहन 10.00बजे से कार्य की समाप्ति तक)	दिनांक 17मई 2010 (पूर्वाहन 11.00बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	दिनांक 20मई 2010 (पूर्वाहन 08.00बजे से अपराह्न 03.00 बजे तक)	दिनांक 20मई 2010 (अपराह्न 03.30 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

2. जिला मजिस्ट्रेट, जिला योजना समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से शासन की उक्त अधिसूचना दिनांक 31.03.2010 में निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित होने वाले सदस्यों के पदों की संख्या देते हुए निर्धारित प्रपत्र-1 पर सार्वजनिक सूचना अपने स्तर से देवनागरी लिपि में हिन्दी में दिनांक 05मई, 2010 को निर्गत करेंगे और उक्त निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार करायेंगे। सार्वजनिक जानकारी हेतु अपने कार्यालय, जिला पंचायत मुख्यालय तथा नगरीय निकायों के मुख्यालयों के सूचना पट्टों में निर्गत सार्वजनिक सूचना की एक प्रति चिपकवा कर प्रदर्शित करायेंगे।

3. उक्त निर्वाचन उत्तराखण्ड जिला योजना समिति अधिनियम, 2007 एवं तद्धीन बनायी गयी “उत्तराखण्ड जिला योजना समिति नियमावली, 2010” के अनुसार सम्पन्न होगा। निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र एवं तत्सम्बन्धी निर्देश अलग से जारी किये जा रहे हैं।

4. मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र निर्वाचन परिणाम घोषित किया जायेगा।

(बिपिन चन्द्र चन्दोला)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

क्रमशः.....

संख्या—११२
/ राजनीतिकानु०-३/६१२/२००५ तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, मा० मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी(जिला योजना समिति), उत्तराखण्ड को संलग्न प्रपत्र-१ की प्रति सहित।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तराखण्ड।
13. समस्त सचिव(जियो०स०)/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, उत्तराखण्ड।
15. समस्त संयुक्त सचिव(जियो०स०)/जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ कि वे कृपया इस अधिसूचना को राजकीय असाधारण गजट में प्रकाशित कराकर 50 प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून/नजीबाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इसे अपने संचार माध्यमों से प्रसारित करा दें।
18. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा न्यूज चैनल्स को निःशुल्क प्रसारण हेतु भेज दें।
19. निजी सचिव, मा० राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
20. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
21. गार्ड फाइल अनुभाग-३

आज्ञा से,

(एच०बी०थपलियाल)

संयुक्त सचिव।

[नियम 10]

जिला योजना समिति के सदस्य के लिए निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना (नोटिस)

चूंकि जिला..... में जिला पंचायत और नगरीय निकायों (नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत) के निर्वाचित सदस्यों में से जिला योजना समिति के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार निमानुसार निर्धारित कुल संख्या..... में सदस्य/सदस्यों को निर्वाचित किया जाना है:-

- (क) जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र..... से जिला योजना समिति के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या.....
- (ख) नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से विभिन्न नगरीय निकायों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से जिला योजना समिति के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या.....
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार निम्नलिखित हैं:-
- | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का नाम | समिलित नगर निकाय का नाम | निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या |
| 1— | | |
| 2— | | |
| 3— | | |
| 4— | | |
- अतः मैं निर्वाचन अधिकारी उक्त निर्वाचन के लिए एतद्वारा निम्नलिखित सार्वजनिक सूचना देता हूँ-

सार्वजनिक सूचना (नोटिस)

- (1) नाम—निर्देशन—पत्र अधोहस्ताक्षरी को (स्थान) पर दिनांक से दिनांक को बजे पूर्वान्ह से बजे अपराह्न तक दिये जा सकते हैं।
- (2) नाम—निर्देशन—पत्रों की जाँच का काम (स्थान) पर दिनांक को बजे पूर्वान्ह से बजे अपराह्न तक स्वयं उपस्थित होकर वापस ले सकता है।
- (3) यदि कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस लेना चहता है तो वह दिनांक को बजे पूर्वान्ह से बजे अपराह्न तक स्वयं उपस्थित होकर वापस ले सकता है।
- (4) यदि निर्वाचन में मतदान आवश्यक हो तो मतदान (स्थान) पर दिनांक को बजे पूर्वान्ह से बजे अपराह्न के बीच होगा।
- (5) मतगणना (स्थान) पर दिनांक को मतदान समाप्ति के बाद प्रारम्भ की जायेगी
- दिनांक
पता.....

नाम—निर्देशन—पत्र के प्रपत्र-2 दिनांक से दिनांक तक
बजे पूर्वान्ह से बजे अपराह्न तक निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

निर्वाचन अधिकारी(जिरोयोसो)
का नाम, हस्ताक्षर व मोहर